



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(09)पंचावि/प्रशा.1/RRDS-12/संस्था/2015/ 4876

जयपुर, दिनांक:- 15.11.22

आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3099/2022 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2022 की पालना में श्री नारायण सिंह राजपुरोहित, आरआरडीएस को विकास अधिकारी पंचायत समिति रानीवाडा जिला जालौर के पद पर यथावत पदस्थापित किया जाता है तथा श्री प्रदीप मायला को प्रतिक्रियात्मक रूप से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति पंचायती राज विभाग, मुख्यालय, जयपुर पर देना सुनिश्चित करेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्राविपंचरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंचरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर, जालौर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालौर।
10. संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. आदेश पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)